समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर बैंन्च

जबलपुर (म0प्र0)

रिवीजन प्रकरण कमांक ...../ 2017

I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6005

रिवीजनकर्तागण : 1- शेख सलीम पिता श्री शेख धन्ना

2- शेख गुल्लु पिता श्री शेख धन्ना

दोनो निवासी - हरदुआ तहसील पाटन जिला- जबलपुर म0प्र0 ।

विरूद्ध

उत्तरार्थीगण : 1- आयुक्त महोदय, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।

2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला जबलपुर म0प्र0 ।

3- तहसीलदार महोदय, पाटन जिला - जबलपुर म0प्र0 ।

4- केशव प्रसाद शुक्ला पिता स्व0 बद्री प्रसाद शुक्ला निवासी- ग्राम हरदुआ तहसील पाटन जिला जबलपुर म0प्र0।

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्ता अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय जबलपुर संभ जबलपुर के प्रकरण कमांक 0027/अपील / 2017-18 में पक्षव शेख सलीम विरूद्ध केशव प्रसाद में पारित आदेश दिनांक 13.1 2017 से क्षुब्ध होकर उक्त रिवीजन माननीय न्यायालय के सव प्रस्तुत कर रहे है कि :-

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6005 **जिला** – जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/1/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 0027/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि यह अपील बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि के सुधार से संबंधित है। अपील का निराकरण सक्षम न्यायालय से होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को उन्होंने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं होने से निरस्त किया है तथा यह निर्देश दिए हैं कि आवेदक चाहे तो अपना आवेदन सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत न करते हुए इस न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय में धारा–50 के तहत निगरानी प्रचलनयोग्य है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	